

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वनभूमि-30/2024-4048 व०प०, राँची, दिनांक-16/10/24

प्रेषक,

जलज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :- मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्सवुड खनन हेतु 9.69 हे० (7.52 हे० + 2.17 हे० सेफ्टीजोन एरिया) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- आपके कार्यालय का पत्रांक-728 दिनांक-08.08.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के संबंध में अनुरोध है कि निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय :-

- (1) CWLW का मंतव्य।
- (2) क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा चिन्हित गैर वनभूमि का जमीन किस्म।
- (3) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में समर्पित 19.56 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के अंश तथा वर्तमान प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि एक ही है। यदि हाँ, तो पूर्व में समर्पित प्रस्ताव के स्थान पर नया प्रस्ताव क्यों समर्पित किया गया तथा क्या नया प्रस्ताव समर्पित करने के पूर्व पुराने प्रस्ताव को withdraw किया गया ?

विश्वासभाजन


(जलज कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-वन भूमि-30/2024-4048 व०प०, राँची, दिनांक-16/10/24

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/महाप्रबंधक, हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, माईस डिवीजन, कोर्ट रोड, लोहरदगा, झारखण्ड-835302 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।